

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082020-221458
CG-DL-E-31082020-221458

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]
No. 346]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2020

सं. एल-1/250/2019/केविआ.—जबकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020, दिनांक 01.07.2020 को भारत के राजपत्र असाधारण (भाग III, धारा 4, संख्या 243), में प्रकाशित किया गया था,

जबकि, उक्त विनियमों के विनियम (1) के खंड (3) में यह व्यवस्था है कि विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तिथि से लागू होंगे,

और अब, अतएव यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 दिनांक 01.11.2020 से प्रभावी होंगे।

सनोज कुमार झा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./207/2020-21]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2020

No.L-1/250/2019/CERC.—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 was, on 01.07.2020, published in the Gazette of India Extraordinary (Part III, Section 4, No. 243),

Whereas, the Clause (3) of Regulation (1) of the said regulations provides that the Regulations shall come into force from the date to be notified by the Commission,

And now, therefore, it is notified that the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 shall come into force with effect from 01.11.2020.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.–III/4/Exty./207/2020–21]